


वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद  
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH  
अनुसंधान भवन, 2 रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001  
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001



Dated 24.11.2009

No. 5-1(12)/2008-PD

From

संयुक्त सचिव (प्रशासन)  
Joint Secretary (Admn.)

To,

The Director,  
CSIR Madras Complex,  
P.O. TTTI Tharamani,  
Chennai-600 113

Kind Atten: Shri C. Christu Raj, Administrative Officer

Sub: Implementation of VI Central Pay Commission recommendation in CSIR -reg.

Sir,

With reference to your letter No. MC-42(4)/08-Estt. Dated 06.11.2009 on the above subject, I am directed to state that in view of the provisions contained at point number 4 of CSIR letter dated 21.10.2008 wherever specific designation has not been mentioned in the CSIR circular dated 4.10.2008 specifically of staff belonging to isolated category/canteen, they may be placed in the corresponding pay scales based on the adoption of pay scales in cases of isolated category, other than Raj Bhasha Staff. As such, Mrs. Bhavani Hariharan who was in the pre-revised scale of Rs. 6500-10500 may be placed in Pay Band 2 in the scale of Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4600, which has been extended in the case of similarly placed officers under the isolated cadre. The request to place her at hierarchy with Section Officers and allow Grade Pay of Rs. 4800 cannot be agreed to at this stage as the issue relating to merger of Receptionist with General Cadre in CSIR is still under consideration.

Yours faithfully

Sd/-

(O.P. Dhawan)  
Under Secretary

Copy to:

1. The Directors/Heads of all National Labs./Instts. of CSIR for information and compliance pl.
- ✓ 2. Head, IT Division with the request to make this circular letter available on the website.

*[Signature]*  
Under Secretary



सं. 5-1(12)/2008-पीडी

दिनांक : 24.11.2009

सेवा में

**निदेशक**

सीएसआईआर मद्रास कॉम्प्लेक्स

पी.ओ. टीटीटीआई तारामणी

चेन्नै - 600 113

**ध्यानाकर्षण :** श्री सी. क्रिस्तु राज, प्रशासन अधिकारी

**विषय :** सीएसआईआर में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन विषयक

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके दिनांक 06.11.2009 के पत्र सं. एमसी-42(4)/08-स्था. के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जहां सीएसआईआर के दिनांक 04.10.2008 के परिपत्र में विशिष्ट पदों विशेष रूप से एकाकी वर्ग/कैंटीन स्टाफ का उल्लेख नहीं किया गया है, वहां सीएसआईआर के दिनांक 21.10.2008 के पत्र के बिन्दु संख्या 4 में निहित प्रावधानों के मद्देनजर उन्हें राजभाषा स्टाफ को छोड़कर अन्य एकाकी वर्ग के मामलों में अपनाए गए वेतनमानों के आधार पर तदनु रूप (corresponding) वेतनमानों में रखा जाए। इस प्रकार, रु. 6500-10500 के पूर्व-संशोधित वेतनमान में कार्यरत श्रीमती भवानी हरिहरन को रु. 4600 की ग्रेड पे सहित रु. 9300-34800 के वेतनमान वाले पे बैंड 2 में रखा जाए जिसे एकाकी वर्ग के तहत इसी प्रकार रखे गए अधिकारियों के मामले में दिया गया है। अतः उन्हें अनुभाग अधिकारियों के पदानुक्रम में रखने और रु. 4800 की ग्रेड पे देने विषयक उनके अनुरोध को इस स्तर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि सीएसआईआर में स्वागती को सामान्य संवर्ग में विलय करने संबंधी मामला अभी विचाराधीन है।

भवदीय,


ह/-

(ओ.पी. धवन)

अवर सचिव

**प्रतिलिपि :**

1. सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशकों/प्रधानों को सूचना एवं अनुपालनार्थ
2. प्रधान, सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग - इस अनुरोध के साथ कि कृपया इस परिपत्र को वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं।

  
अवर सचिव